

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या:-74/2025

प्रार्थी

छतरसिंह व अन्य

बनाम

अप्रार्थी

रूघसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी रेस्टोरेशन 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम या इस हुक्म व तामील म जारी हुए
21-10-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा राजस्व वाद संख्या 31/2019 अनवान छतरसिंह व अन्य बनाम रूघसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 20.11.2024 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खाजिर किया गया था। जिसे प्रार्थी मनसुख कराकर पुनः राजस्व वाद को गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण की ओर से हीरालाल सीरवी तथा हनुमान राम चौधरी ने वकालतानामा पेश किया तथा वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी को भेजे गये नोटिस की रजिस्टर ऐडी की रशीदे पेश की जो शामिल मिसल किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी बाबत रेस्टोरेशन सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व वाद संख्या 31/2019 अनवान छतरसिंह व अन्य बनाम रूघसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पुनः बराबद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी